न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 14/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/37

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :–**
विकास अधिकारी, पचांयत समिति रानी जिला पाली		1. संरपंच ग्राम पंचायत रानीकलां 2. जीवाराम पुत्र नेताराम देवासी निवासी रानीकलां तहसील रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 18.6.2024

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 12.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। प्रार्थी तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तत्कालीन सरपंच रानीकलां ने नियम विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया। नियम 157(1) के तहत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकान का ही इस नियम के अन्तर्गत पट्टा जारी किया जा सकता है। जैर निगरानी पट्टे की राशि 6,35,358/– रूपये है, जिसका राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 154 के अनुसार जमीन का विक्रय सार्वजनिक निलामी द्वारा किया जाना था। साथ ही जैर निगरारी भूखण्ड पर वर्तमान में कोई पक्का या कच्चा झोपडा/मकान नहीं बना हुआ है एवं उक्त भूखण्ड पर किसी का रहवास भी नहीं है। मिसल में दर्ज आदेशिकाए कम्प्युटर से निर्धारित फॉरमेट में तैयार की है, जिसमें खाली जगह रखकर नाम भरे है। कही कॉलम रिक्त है तो कही दिनांक रिक्त है। अतः ऐसे निर्धारित फॉरमेट के आधार पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही विधिविरूद्ध प्रतीत होती है। जांच पत्रावलियों से भी यह स्पष्ट होता है कि सारी मिसल कार्यवाही एक ही दिन में तैयार कर आदेशिकाओं में आगे दिनांक अंकित कर खाली जगह भरी गयी। न तो मौका देखा गया और न ही आपत्ति ईश्तहार पर कोई क्रमांक अंकित है। निरीक्षणकर्ता एवं बयानकर्ता की वल्दियती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान

अति. जिला कलक्टर, पाली

पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरूद्ध जारी किया है जिसे खारिज फ़रमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी विकास अधिकारी निगरानी पेश नहीं कर सकता, पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के तहत एक अपील ऑथोरिटी होती है। प्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे की मिसल एक ही दिन में बनी हुई है, जिसमें पंचायत नियमों की पालना नहीं हुई है। चुकि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध अप्रार्थी संख्या 2 ने नियमानुसार शुल्क जमा करवायी है, जिसके उपरान्त विधिनुसार कार्यवाही की गयी है। साथ ही प्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी भूखण्ड आबादी में नहीं है, यदि उक्त भूखण्ड में आबादी में नहीं होता तो पटवारी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही, टी.पी. रिपोर्ट अथवा किस्म की रिपोर्ट पेश कर अप्रार्थी संख्या 2 को बेदखल करने कि कार्यवाही की जाती परन्तु ऐसा नहीं किया गया जिससे भी यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि मे ही जारी किया गया है। मिसल की आदेशिकाये यदि कम्प्यूटर से तैयार कि जाती है तो अप्रार्थी संख्या 2 की इसमें कोई गलती नहीं है, साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकित तथ्य ग्राम पंचायत के नाम से है अप्रार्थी के नाम से नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी राजनैतिक दैष भावना को दर्शाता है।

प्रार्थी तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 जीवाराम पुत्र नेताराम देवासी के पक्ष में जारी संख्या 29 दिनांक 12.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 11.03.2016 को पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया, जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गयी, जिसकी प्रथम आदेशिका की दिनांक अंकन ही नहीं है, में सचिव को नक्शा बनाने हेतु निर्देशित किया गया। सम्पूर्ण मिसल कम्प्यूटर टाईप है जिसमें ग्राम पंचायत, प्रार्थी तथा वार्ड पंचों का नाम पेन से अंकित है। राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईश्तहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा न तो आपत्ति ईश्तहार जारी करने का प्रस्ताव लिया गया और न ही ईश्तहार जारी किया गया साथ ही न ही दो स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये गये। जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो नियमानुसार सही नहीं होने से खाजिर योग्य है।

सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी स्टेशन के द्वारा विधि विरूद्ध जारी पट्टो के सम्बन्ध में 5 पट्टो का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। "जिसमें क्रम संख्या 3 पर अप्रार्थी के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टे का अंकन किया गया है। समस्त 5

अति. जिला कलक्टर, पाली

पट्टों की भूमि पडी हुई है। वर्तमान में किसी प्रकार का कच्चा या पक्का (झौपडा/मकान) बना हुआ नहीं है एवं किसी भी भूखण्ड में रहवास नहीं है। इन पट्टो में पट्टाधारक को लाभ पहुचाने की नियम से नियमों को दर किनार करके वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा जो मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गयी है। जमीन का विक्रय सार्वजनिक निलामी द्वारा किया जाना था तथा जैर निगरानी पट्टे की डीएलसी दर से वसूल योग्य राशि 6,35,358 रूपये है। इसलिये पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत विधि विरूद्ध है। जो एक ही परिवार को जारी किये गये है। तत्कालिन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए अधिकारिता से बाहर जाकर नियम विरूद्ध उक्त भूखण्ड का पट्टा मात्र दो सौ रूपये में अन्य व्यक्तियों के नाम जारी किये है जो निरस्त योग्य है। अतः नियम विरूद्ध जारी पट्टो को निरस्त कराने की कार्यवाही अपेक्षित है।'' जांच प्रतिवेदन के विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैंर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की अक्षरशः पालना नही कर अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारीज योग्य है।

पत्रावली के संलग्न ग्राँम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 3 में यह स्पष्ट अंकित है कि देवासी समाज के एक ही परिवार को खाली भूमि पर नियम 157 के तहत 200/—रूप्ये में पांच पट्टे जारी कर दिये, जबकि इन पर किसी भी प्रकार का आवासीय मकान नहीं बना हुआ है परन्तु उक्त भूमि को पुश्तैनी मकान बताकर नियम विरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया जिससे राजस्व हानी का नुकसान हुआ है। जिसमें पट्टाधार का नाम (C) पर अंकित है, जिसे निरस्त करवाने की अनुशंषा की है। साथ ही बैठक दिनांक 20.08.2020 के अवलोकन से भी यह सुस्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध है, जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 11.03.2016 को पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गयी तथा प्रथम आदेशिका में दिनांक का अंकन ही नहीं है। सम्पूर्ण मिसल कम्प्यूटर टाईप है जिसमें ग्राम पंचायत, प्रार्थी तथा वार्ड पंचों का नाम पेन से अंकित है। आक्षेप आमंत्रित करने हेतु न तो प्रस्ताव लिया गया और न ही नोटिस जारी किया गया तथा न ही जैर भूखण्ड के सम्बन्ध में दो स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये गये। साथ ही ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 3 में भी यह स्पष्टतया अंकित है कि जैर निगरानी पट्टा नियम विरूद्ध तरीके से जारी किया गया है, जिससे राजस्व हानी का नुकसान हुआ है, जिसे निरस्त करवाने की अनुशंषा की है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी स्टेशन द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय नियम विरूद्ध प्रक्रिया अपनाई जाकर विधिविरूद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 जीवाराम पुत्र नेताराम देवासी के पक्ष में जारी संख्या 29 दिनांक 12.09.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 18/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली